513 2

1

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

11 MAY 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR

AP 178814

जितेन्द्र कुमार शर्मा

किरायानामा / लीज डीड

किराया 1,000/-- रूपये मासिक
अवधि 30 वर्ष
स्टाम्प अंकन 2900/-- रूपये

हम कि पंडित मलखान सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति ग्राम बहराला (भराला) पोस्ट दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ (रजि0 सं0 518/2004) द्वारा उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा भारद्वाज पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम बहराला (भराला) परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ -- प्रथम पक्ष

वर्षा भारद्वाज

राजीव कुमार S/o
श्री स्व० मलखान सिंह
ग्राम भराला पो० दौराला
(मेरठ)

45 12-5-15 10

क्रमिक नं. 43

शहजाद खाँ स्टाम्प विक्रेता
तह० सरधना (मेरठ)

पट्टा गृहीता

Registration No. : 6513 | Year : 2,015 | Book No. : 1

0201 एम0एस0बी0एजू0महावि0द्वारा चैयरमैन अजय भारद्वाज

मलखान सिह

ग्राम बहराला दौराला सरधना मेरठ

अन्य

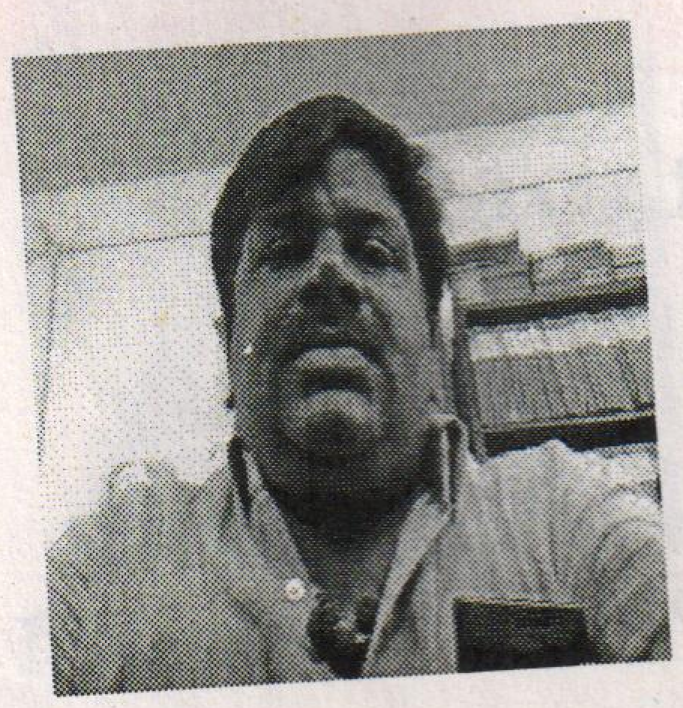

43

[illegible] में [illegible]

पुत्र [illegible]

[illegible] का प्रकार एवं मूल्य

[illegible] खरीदने का प्रयोजन

[illegible] का नाम

शमशाद खाँ

SRD 1

तह० कम्पाउंड सरधना (मेरठ)

विक्रय का दिनांक 11-5-15

ह० स्टाम्प विक्रेता

[illegible]

UTTAR PRADESH

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 178815

11 MAY 2015

एवं

एम.एस.बी. एजूकेशनल महाविद्यालय, ग्राम पनवाड़ी जिला मेरठ द्वारा चेयरमैन/सचिव अजय भारद्वाज पुत्र श्री मलखान सिंह निवासी ग्राम बहराला (भराला) परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ -- द्वितीय पक्ष,

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रथम पक्ष 5000 (पांच हजार) वर्ग मीटर जिसकी मौके पर चारदीवारी बनी हुई है, सीमित पूरब में खेत सुनील, अजय व राजीव, पश्चिम में कॉलिज, उत्तर में सड़क,दक्षिण में खेत जिले सिंह व खेत सुन्दर, मध्ये खसरा नम्बर 525, 562 स्थित ग्राम पनवाड़ी परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के स्वामी काबिज अधिकारी है जो प्रथम पक्ष ने बैनामा दिनांक 2.05.2015 के द्वारा क्रय की हुई है और इस भूमि से सम्बन्धित समस्त अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं तथा जिसको द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष

वर्षा भारद्वाज

अजय

पंकज शर्मा
गंगा चन्द्र शर्मा
ग्राम पो० दबथुवा
(मेरठ)

44 12-5-15 100

क्र०........ दि०........ रु०........

शामिल नं०........ 43

मरगूब खाँ स्टाम्प विक्रेता

[illegible]० मवाना (मेरठ)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 848206

से किराये पर लेना तय किया है जिसके सम्बन्ध में पक्षकार अपनी स्वस्थ बुद्धि प्रसन्नचित्त बिना किसी दबाव व बहकाव के निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं करते हैं:

1. यह कि किरायेदारी दिनांक 12.05.2015 ई0 से प्रारम्भ होगी तथा किरायेदारी साल दर साल तीस साल तक चलती रहेगी।
2. यह कि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनो पक्षों में अंकन 1000/– रूपये मासिक तय पाया है जिसे द्वितीय पक्ष प्रतिवर्ष प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे तथा उक्त लीज की अवधि 12.05.2015 से तीस वर्ष तक रहेगी तथा प्रत्येक साल मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में द्वितीय पक्ष हर हालत में किराया अदा कर दिया करेंगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति पर बजरिये किरायेदार अपना कब्जा कर लिया है तथा द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करने व अपनी आवश्यकतानुसार इच्छानुसार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

SUB-TREASURY OFFICE
11 MAY 2015
SARDHANA (MEERUT)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 141342

उक्त सम्पत्ति को इस्तेमाल करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षण कार्य करने, उसमें कोई भी कोर्स कराने, या अन्य शिक्षण कार्य करने, सम्पत्ति में कॉलिज चलाने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेंगे तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि में कॉलिज को चलाने हेतु उक्त भूमि को किराये पर लिया है।

4. यह कि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीय पक्ष की किरायेदारी के कारण व द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होंगे उन्हें द्वितीय पक्ष ही अदा किया करेंगे तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षण कार्य व कॉलिज आदि के

46 12-5-15 1 म

नं॰ ____ दि॰ ____ रु॰ ____
लाइसेंस नं॰ 43 ...

पट्टा विलेख

प्रतिफल	मालियत	ओसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
		12,000.00	360.00	20	380.00	1,000

(30 वर्ष)

श्रीमती पंडितमलखानसिहमैमो0शि0समि0द्वारा उपाध्यक्ष वर्षा भारद्वाज
पत्नी श्री सुनील कुमार
व्यवसाय शिक्षक
निवासी स्थायी ग्राम बहराला दौराला सरधना मेरठ
अस्थायी पता पैनकार्ड 0249ए
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/5/2015 समय 2:55PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम कुमार निबंधक
प्रेम प्रकाश
उप निबन्धक सरधना
-
12/5/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता
श्रीमती पंडितमलखानसिहमैमो0शि0समि0द्वारा
उपाध्यक्ष वर्षा भारद्वाज
पत्नी श्री सुनील कुमार
पेशा शिक्षक
निवासी ग्राम बहराला दौराला सरधना मेरठ

पट्टा गृहीता
श्री एम0एस0बी0एजू0महावि0द्वारा चैयरमैन अजय
भारद्वाज
पुत्र श्री मलखान सिह
पेशा अन्य
निवासी ग्राम बहराला दौराला सरधना मेरठ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री राजीव कुमार
पुत्र श्री मलखान सिह
पेशा अन्य
निवासी ग्राम बहराला दौराला सरधना मेरठ
व श्री पंकज शर्मा
पुत्र श्री गंगेश्चन्द शर्मा
पेशा अन्य
निवासी ग्राम दबथुवा सरधना मेरठ
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम कुमार निबंधक
प्रेम प्रकाश
उप निबन्धक सरधना
-
12/5/2015

. 5 .

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 141343

सम्बन्ध में कोई भी नव निर्माण करायें, कनैक्शन नल व बिजली का लें, व टैक्स अदा करें, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को अपने प्रयोग में शिक्षण कार्य के लिये ही करेंगे अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे तथा किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नहीं रखेंगे।

6. यह कि लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष को जब तक बैंक या वित्तीय संस्था का ऋण अदा नहीं हो जायेगा लीज समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष किसी भी सूरत में लीज समाप्त नहीं करेंगे।

42 12-5-15 100
क्र0 .... दि0 .... रु0 ....
तहसील नं0 .... 42 ...
शहजाद खाँ स्टाम्प विक्रेता
सरधना (मेरठ)

पट्टा दाता

Registration No.: 6513 Year : 2,015 Book No. : 1

0101 पंडितमलखानसिहमैमो0शि0समि0द्वारा उपाध्यक्ष वर्षा भारद्वाज

सुनील कुमार वर्षा भारद्वाज

ग्राम बहराला दौराला सरधना मेरठ

शिक्षक

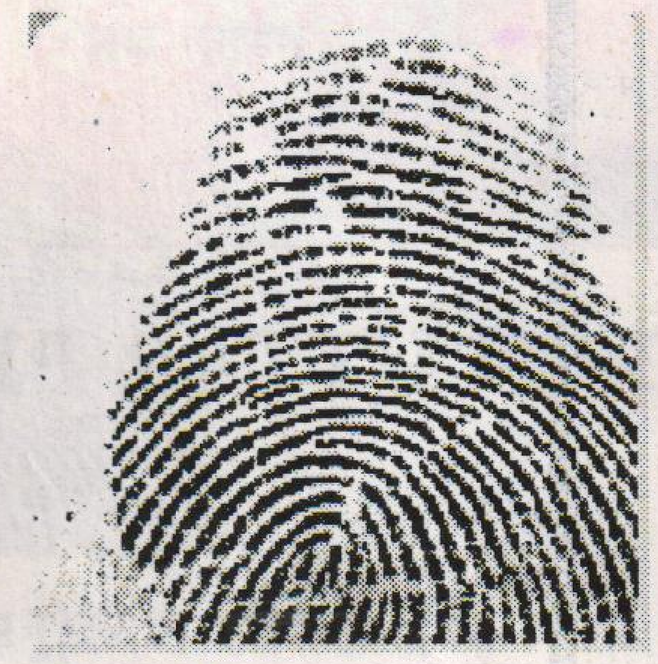

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 141344

7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कालेज चलाने की स्वीकृति सम्बन्धी समस्त विभाग से लेने की पूर्ण जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभायेंगे तथा हर प्रकार की कार्यवाही कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेगा जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. यह कि तीस साल अवधि पूरी होने पर किरायानामा स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

वर्षा भारद्वाज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 141345

SUB-TREASURY OFFICE ... MAY 2015 SARDHANA MEERUT

9. यह कि उपरोक्त धाराओं का दोनो पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अतः यह किरायानामा/लीजडीड अवधि 30 वर्ष लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो।

दिनांक **12.05.2015 (बारह मई सन दो हजार पन्द्रह ई0)**
प्रालेखः **जितेन्द्र कुमार शर्मा, दस्तावेज लेखक, सरधना (मेरठ)**

49 12-5-15 10

नं० ______ दि० ______ रु० ______

शामिल नं० ______ 43

महमूद खाँ स्टाम्प विक्रेता
तह० सरधना (मेरठ)

आज दिनांक **12/05/2015** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **6430**

पृष्ठ सं. **149** से **162** पर कमांक **6513**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रकाश

उप निबन्धक सरधना

-

12/5/2015